भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2638

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य

2638. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषोन्नति योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उक्त योजनाओं की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में इनके कार्यान्वयन की वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं का पीएम-कृषि विकास योजना में विलय करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषोन्नति योजना (केवाई) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एक व्यापक (अम्ब्रेला) केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी), बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी), डिजिटल कृषि मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) तथा एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) सहित विभिन्न फ़्लैगशिप प्रयास शामिल हैं।

कृषोन्नति योजना का व्यापक उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं रोपण सामग्री को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण, बागवानी एवं कृषि वानिकी को सहायता प्रदान करने, कृषि विपणन एवं पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, डिजिटल कृषि एवं डेटा-ड्रिवेन गवर्नेंस, विस्तार सेवाओं तथा बाजारों हेतु सुविधाएँ प्रदान करने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र, सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। कृषोन्नति योजना के कार्यान्वयन का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना नवंबर, 2024 से देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। प्राकृतिक खेती (एनएफ) एक रसायन-मुक्त खेती है, जिसमें पशुधन (अधिमानतः देशी नस्ल की गाय) को समाहित करते हुए प्राकृतिक खेती की विधियां तथा भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित विविधीकृत फसल प्रणालियां अपनाई जाती हैं। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में

सुधार, इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना तथा किसान का जलवायु के प्रति अनुकूलन बढ़ाने हेतु इनपुट लागत में कमी लाना है। मिशन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

i. प्रकृति-आधारित सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना, फार्म पर तैयार प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट्स के उपयोग को बढ़ाना, बाहर से खरीदे गए इनपुट्स पर निर्भरता को कम करना तथा इनपुट लागत को कम करना तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करते हुए सतत कृषि पद्धतियां अपनाना।

ii. पशुधन (अधिमानतः देशी नस्ल की गाय) समाहित कृषि-पशुपालन मॉडलों को लोकप्रिय बनाना।

iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों आदि के फार्म-स्तरीय एग्रो-इकोलॉजिकल अनुसंधान तथा ज्ञान-आधारित विस्तार क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

iv. प्राकृतिक खेती का प्रसार बढ़ाने हेतु प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के क्षेत्रीय अनुभव तथा वैज्ञानिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और इसके आधार पर स्थान-विशिष्ट प्राकृतिक खेती पद्धति पैकेज विकसित एवं परिष्कृत करना।

v. प्राकृतिक रूप से उगाई गई रसायन-मुक्त उपज के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित सामान्य मानक तथा सरल किसान-हितैषी प्रमाणन प्रक्रियाएं स्थापित करना।

vi. प्राकृतिक रूप से उगाई गई रसायन-मुक्त उपज के लिए एक एकल राष्ट्रीय ब्रांड का सृजन एवं संवर्धन करना।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के कार्यान्वयन का विवरण **अनुबंध-**II पर दिया गया है।

सरकार देश भर में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने तथा मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) का कार्यान्वयन कर रही है। मिशन का उद्देश्य शहद उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, शहद तथा अन्य मधुमक्खी उत्पादों की गुणवत्ता एवं ट्रेसेबिलिटी में सुधार, उत्पादन एवं प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना; अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा मधुमक्खी पालन को एक व्यवहार्य संबद्ध कृषि गतिविधि के रूप में बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। एनबीएचएम एक मांग-आधारित एवं परियोजना-आधारित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मिशन के अंतर्गत फंड्स का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के कार्यान्वयन का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की केंद्र प्रायोजित योजनाएं दो व्यापक (अम्ब्रेला) योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) तथा कृषोन्नति योजना (केवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं।

अनुबंध-I

कृषोन्नति योजना: वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में जारी फंड का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्यों के नाम**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	211.23	355.60
2	बिहार	233.63	200.88
3	छत्तीसगढ़	227.75	145.11
4	गोवा	5.43	3.81
5	गुजरात	129.48	145.44
6	हरियाणा	52.34	66.06
7	झारखंड	50.24	84.66
8	कर्नाटक	377.06	306.41
9	केरल	41.09	61.46
10	मध्य प्रदेश	357.63	451.33
11	महाराष्ट्र	361.76	379.32
12	ओडिशा	185.19	188.48
13	पंजाब	42.43	66.95
14	राजस्थान	243.89	339.49
15	तमिलनाडु	252.68	301.06
16	तेलंगाना	161.36	201.21
17	उत्तर प्रदेश	420.35	365.97
18	उत्तराखंड	43.86	71.58
19	पश्चिम बंगाल	135.93	161.46
20	हिमाचल प्रदेश	35.74	70.28
21	अरुणाचल प्रदेश	172.62	202.93
22	असम	291.60	361.75
23	मणिपुर	94.16	59.87
24	मेघालय	51.05	45.70
25	मिजोरम	82.50	117.20
26	नागालैंड	161.32	116.32
27	सिक्किम	82.84	104.41
28	त्रिपुरा	81.21	106.92
29	जम्मू और कश्मीर	112.87	121.36
30	लद्दाख	17.43	-
31	पुडुचेरी	2.78	5.72
32	अंडमान और निकोबार	2.75	-
33	दिल्ली	-	0.41
	कुल	**4722.20**	**5209.14**

अनुबंध-II

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	गठित क्लस्टर	पंजीकृत किसानों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	250	100
2	आंध्र प्रदेश	5002	650163	425912.564
3	अरुणाचल प्रदेश	108	2982	705.316
4	असम	32	3721	2584.596
5	बिहार	450	50065	21155.308
6	छत्तीसगढ़	467	57590	25605.416
7	दिल्ली	6	375	150
8	गोवा	13	1623	630.888
9	गुजरात	1033	117108	48740.94
10	हरियाणा	194	11288	9307.212
11	हिमाचल प्रदेश	531	62003	22002.316
12	जम्मू और कश्मीर	160	19791	6905.048
13	झारखंड	182	11562	4586.88
14	कर्नाटक	991	124332	54456.8
15	केरल	114	16700	6210.112
16	लद्दाख	4	621	175.616
17	मध्य प्रदेश	1805	167661	90902.256
18	महाराष्ट्र	1711	143707	40514.96
19	मणिपुर	88	9077	3564.632
20	मेघालय	84	7017	2273.396
21	मिजोरम	176	13503	8396.04
22	नागालैंड	107	7998	3473.12
23	ओडिशा	442	60422	24058.648
24	पुडुचेरी	6	772	256.252
25	पंजाब	68	5295	1831.28
26	राजस्थान	2380	212346	91165.58
27	तमिलनाडु	60	6072	2708.912
28	तेलंगाना	506	61205	35819.928
29	त्रिपुरा	111	13643	5188.988
30	उत्तर प्रदेश	1857	230733	83166.9
31	उत्तराखंड	203	23032	9566.548
	कुल	**18893**	**2092657**	**1032116.452**

अनुबंध-III

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1.	2020-21	41	8040.86	असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
2.	2021-22	50	3897.10	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
3.	2022-23	59	7185.34	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
4.	2023-24	46	2888.92	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
5.	2024-25	114	11324.01	अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
6.	2025-26	99	5982.80	अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
7.	2026-27	52	2277.81	असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
	कुल	461	41596.84	
